

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

**दांडिक प्रकरण क :- 278/18
संस्थापन दिनांक:-04/05/18
फाईलिंग नं. 109/2018**

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. रामसू पिता कलीराम उइके, उम्र 18 वर्ष
2. रामसिंह पिता कलीराम उइके, उम्र 22 वर्ष
दोनों निवासी लादी, थाना आमला, जिला बैतूल

.....**अभियुक्तगण**

-: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 04.05.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त रामसू के विरुद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 एवं 3/181, 39/192 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.04.2018 को समय शाम 05:10 बजे स्थान थाना आमला से 12 किलोमीटर उत्तर में ग्राम घीसी स्थित आम के पेड़ के पास थाना आमला जिला बैतूल में मोटर सायकिल बिना नंबर की हिरो होंड डीलक्स इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200HGH25007 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया उक्त मोटरसायकिल को बिना लाईसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन कराये चलाया तथा अभियुक्त रामसिंह पर धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.04.2018 को समय शाम 05:10 बजे स्थान थाना आमला से 12 किलोमीटर उत्तर में ग्राम घीसी स्थित आम के पेड़ के पास थाना आमला जिला बैतूल बिना नंबर की हिरो होंडा डीलक्स इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH25007 को बिना अनुज्ञप्ति धारक रमसू को वाहन चलाने को दिया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी रघुनाथ दिनांक 24.04.2018 को शाम करीब 5 बजे सोनादेही से आमढाना अपनी मोटर सायकिल क. एमपी-48-एमएम-9760 से अपनी पत्नी इंद्राबाई के साथ घीसी रोड से जा रहा था। तभी ग्राम घीसी रोड पर आम के पेड़ के पास सामने से बिना नंबर की हीरो डिलक्स के चालक रामसू उइके ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक उसकी गाड़ी चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी जिससे उसे एवं उसकी पत्नी को चोटें आयी। उसे दाहिने पैर के घुटने के नीचे तथा दाहिने हाड़ि के बीच की अंगुली में चोट आयी तथा उसकी पत्नी को हाथ में चोट आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर

थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 204/18 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से बिना नंबर की हीरो डिलक्स मोटर सायकिल इंजन नंबर HA11ENHGH 24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH25007 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र दिया गया। अभियुक्त के पास ड्रायविंग लायसेंस न होने से एवं वाहन रजिस्टर्ड न होने से अभियुक्त रामसू के विरुद्ध धारा 3/181, 39/192 मोटर यान अधिनियम तथा अभियुक्त रामसिंह के विरुद्ध धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी एवं आहत का अभियुक्त रामसू से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त रामसू को धारा 337(दो काउंट में) भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त रामसू के विरुद्ध लगे धारा 279 भा.द.सं. एवं 3/181, 39/192 मोटरयान अधिनियम तथा अभियुक्त रामसिंह के विरुद्ध लगे धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये। मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त रामसू ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिना नंबर की हीरो डिलक्स मोटर सायकिल इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH 25007 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त रामसू ने घटना के समय उक्त मोटर सायकिल को बिना लायसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन कराये चलाया ?
3. क्या घटना के समय अभियुक्त रामसिंह ने बिना नंबर की हीरो डिलक्स मोटर सायकिल इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH 25007 को बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने को दिया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का सकारण निष्कर्ष

6 रघुनाथ (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना पिछले माह की 24 तारीख की है। घटना के समय वह अपनी मोटर सायकिल बजाज सीटी 100 से अपनी पत्नी के साथ लादी से खैरवानी तरफ जा रहा था। ग्राम घीसी रोड पर आम के पेड़ के सामने छाव होने से उसने अपनी गाड़ी रोकी थी तभी सामने से हीरो होडा सीडी डिलक्स के चालक रामसू ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी जिससे वह अपनी मोटर सायकिल से गिर गया था और उसे एवं उसकी पत्नी को चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाना आमला में की थी एवं पुलिस ने घटना स्थल पर आकर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन ने किये जाने से साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त रामसू ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त और उसकी मोटर सायकिल की आपस में टक्कर हुई थी और अभियुक्त ने मोटर सायकिल को तेजी व लापरवाही से नहीं चलाया था।

7 साक्षी रघुनाथ ने अपने कथनों में अभियुक्त रामसू के द्वारा मोटर सायकिल हीरो डिलक्स को चलाकर उसे टक्कर मारना बताया है परंतु अभियुक्त रामसू के द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने से पूर्णतः इनकार किया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त रामसू ने हीरो डिलक्स मोटर सायकिल इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH 25007 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

8 साक्षी रघुनाथ (अ.सा.-1) ने अभियुक्त रामसू के द्वारा उसे बिना नंबर की हीरो डिलक्स मोटर सायकिल से टक्कर मार दिया जाना बताया है तथा उपर्युक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त रामसू के द्वारा वाहन चलाये जाने के अपने कथन पर अखंडित हैं। इसके अतिरिक्त फरियादी द्वारा प्रकरण में कथित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कथन में भी अभियुक्त का नाम लिखाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त रामसू के द्वारा घटना दिनांक को मोटर सायकिल चलाया जाना पूर्णतः स्थापित है। अभियुक्त रामसू के उपर घटना दिनांक को मोटर सायकिल को बिना लायसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाये जाने का भी आरोप है। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन चालक पर वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन होना तथा वैध लायसेंस का होना प्रमाणित करने का भार होता है। अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक को वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन होने एवं अभियुक्त रामसू का वैध लायसेंस होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। साथ ही अभियुक्त

रामसिंह के द्वारा जो कि वाहन का स्वामी है, वाहन को अभियुक्त रामसू को लायसेंसधारी चालक को चलाने के लिए दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह उपधारित किया जायेगा कि घटना दिनांक को अभियुक्त रामसू के द्वारा हीरो डिलक्स मोटर सायकिल इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH 25007 को बिना वैध रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस के चलाया गया तथा अभियुक्त रामसिंह के द्वारा उक्त वाहन का स्वामी होते हुए वाहन को बिना लायसेंस धारी को चलाने के लिए दिया गया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

9 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त रामसू ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर हीरो डिलक्स मोटर सायकिल इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH 25007 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया किंतु अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त रामसू ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर हीरो डिलक्स मोटर सायकिल इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH 25007 को बिना लायसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया तथा अभियुक्त रामसिंह ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की मोटर सायकिल हीरो डिलक्स इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH 25007 को बिना अनुज्ञप्ति धारक रामसू को वाहन चलाने को दिया। फलतः अभियुक्त रामसू को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त रामसू को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 39/192 एवं अभियुक्त रामसिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

10 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

13 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। उनके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं

है। अभियुक्तगण मजदूर पेश होकर उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध किया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

14 **उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया।** अभियुक्तगण द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, 39/192 के तहत अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

15 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त रामसू के विरुद्ध धारा 3/181, 39/192 मोटरयान अधिनियम एवं अभियुक्त रामसिंह के विरुद्ध धारा 5/180 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। फलतः उभयपक्ष के तर्कों को विचार में रखते हुए एवं अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति तथा उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा को विचार में रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार अर्थदंड से दंडित किया जाता है :-

नाम अभियुक्त	धारा	अर्थदंड	जुर्माना अदा न करने की दशा में सश्रम कारावास
रामसू पिता कलीराम	3/181 मो.अधि.	100 /—	3 दिवस
	39/192 मो.अधि.	2,000 /—	01 माह
रामसिंह पिता कलीराम	5/180 मो.अधि.	500 /—	7 दिवस

16 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल हीरो डिलक्स इंजन नंबर HA11ENHGH24921 चेचिस नंबर MBLHAR200 HGH 25007 वाहन स्वामी रामसिंह पिता कलीराम, निवासी लादी, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रदाय की जावे। अपील होने की दशा में अपील्य माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

17 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)